<u>उनवान</u>

1. भवंरसिंह उर्फ भगवतसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत निवासी नाहरगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थी

उपस्थित :—

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. तहसीलदार माण्डलगढ़ (अप्रार्थी)

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>–: आदेश :–</u>

दिनांक :– 28.10.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी भंवरसिंह उर्फ भगवतसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत निवासी नाहरगढ़ तहसील माण्डलगढ़ ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाहरगढ पटवार हल्का सुरास में स्थित आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। सन् 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाकर राजस्व नक्शें को आनलाईन दर्ज किया। उक्त अभियान के दौरान विवादग्रस्त कृषि भूमि आराजी संख्या 480 का आनलाईन नक्शा राजस्व कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया। उसे रिकार्ड में दर्ज रकबे से छोटा कर दिया गया। जिसमें विवादगस्त आराजी का नक्शा रिकार्ड में दर्ज रकबे एवं पटवारी के नक्शें में दर्ज रकबे से कम हो गया है। उक्त त्रुटी राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से की गयी है। उक्त त्रुटी से प्रार्थी को भविष्य में अनैकानैक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिये आनलाईन तैयार किये गये राजस्व नक्शें दुरूस्ती की जाकर विवादग्रस्त आराजी के दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा तैयार किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

दिनांक 05.10.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ के पत्र क्रमांक 1943 द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब पेश किया [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। जवाब में कथन किया गया कि प्रार्थी के नाम ग्राम नाह[illegible] हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ के आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 [illegible] रिकॉर्ड अनुसार [illegible] ग्राम नाहरगढ खातेदारी हक से प्रार्थी कें नाम रिकॉर्ड [illegible] संख्या 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ के आराजी [illegible] नक्शा अनुसार उक्त आराजी संख्या [illegible] भूमि जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन राजस्व नक्शा अनुसार उक्त आराजी संख्या 480 का क्षेत्रफल 1.9263 हैक्टेयर ही है जो जमाबंदी मे दर्ज क्षेत्रफल से 1.007 हैक्टेयर कम है। यह कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 480 से सटा हुआ आराजी संख्या

Utsah.
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

660/480 रकबा 1.3355 हैक्टेयर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रिकॉर्ड है। बिलानाम आराजी संख्या 660/480 का जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 1.3355 हैक्टेयर है लेकिन राजस्व नक्शा अनुसार इसका क्षेत्रफल 2.4362 हैक्टेयर है जो जमाबंदी मे दर्ज क्षेत्रफल से 1.007 हैक्टेयर अधिक है। यह कि प्रार्थी खातेदार मौके अनुसार आराजी संख्या 480 के पश्चिमी ओर ग्राम दोवनी की सीमा तक वर्षो से काबिज है जिसको प्रस्तावित नक्शा ट्रेस मे दर्शाया गया है। यह कि पटवार स्तर पर उपलब्ध नक्शा शीट व भू प्रबन्ध विभाग की नक्शा प्रतिलिपि का अवलोकन करने पर यह तथ्य जाहिर आया कि आराजी संख्या 480 व 660/480 को पृथक करने वाली लाईन नक्शे मे अंकित नही थी। तहसील माण्डलगढ को ऑन लाईन करते समय डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत उक्त दोनो खसरा संख्या को पृथक करने वाली लाईन अंकित करना आवश्यक था लेकिन सहवन से जमाबंदी मे दर्ज क्षेत्रफल अनुसार लाईन अंकित नही की है जिसके कारण उक्त आराजियात का जमाबंदी मे दर्ज क्षेत्रफल व नक्शे अनुसार क्षेत्रफल मे अन्तर आया है। यह कि ग्राम नाहरगढ पटवार हल्का सुरास के आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर व आराजी संख्या 660/480 रकबा 1.3355 हैक्टैयर भूमि की संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करने पर उक्त वर्णित दोनो आराजियात का जमाबंदी मे दर्ज क्षेत्रफल व नक्शा शीट मे क्षेत्रफल समान होगा। इससे किसी प्रकार की राजकीय हानि नही होगी। इसी प्रकार पेरोकार सरकार की भी लिखित में टिप्पणी इस प्रकार प्राप्त हुई है कि तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तरमीम किया जाने से जमाबन्दी अनुसार रकबा की तरमीम होगी एवं राजहित प्रभावित नही होगा।

दिनांक 23.10.2020 को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खातेदारी भूमि आराजी संख्या 480 के राजस्व नक्शे को रिकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 480 के पश्चिम दिशा में जहां तरमीम की गई है असी के आगे तक मेरी खातेदारी भूमि है। जहां वर्षों से प्रार्थी काबीज है इसके अलावा इस कृषि भूमि के दक्षिण में पुख्ता लाईन पैमायश के समय की डली हुई है आराजी संख्या 480 के पश्चिम दिशा में जो सेटलमेन्ट से पहले के नक्शे में मेरी खातेदारी भूमि प्रमाणित है को तरमीम किया जाना न्यायोचित है। उक्त कृषि भूमि आराजी संख्या 480 के गत बन्दोबस्ती संख्या 99 है उक्त तथ्य मिलान खसरे की प्रति से सिद्ध है। उक्त कृषि भूमि का सेटलमेन्ट पूर्व का राजस्व नक्शा व सेटलमेन्ट बाद का राजस्व नक्शा प्रस्तुत है। उक्त भूमि का आनलाईन नक्शा बनाया गया उसमें खाते में दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा नही बना है। उक्त त्रुटी सेहवन से हुई है जिसे नये व पुराने नक्शे से मिलान कर दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि राजस्व नक्शें को प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 480 के दर्ज रकबे के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

दिनांक 28.10.2020 को विपक्षी पेरोकार सरकार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर में अवगत करवाया कि प्रार्थी के नाम ग्राम नाहरगढ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ के आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड है। यह कि रिपोर्ट तहसीलदार कि बिन्दू संख्या 4 व 5 अनुसार प्रार्थी काबिज है व आराजी संख्या 480 [illegible] 660/480 को पृथक करने वाली लाईन नक्शे में अंकित नही थी। [illegible] खसरा अनुसार आराजी संख्या 480 के गत बन्दोबस्ती संख्या 99 [illegible] तरमीम शुद्धि करेन से रिपोर्ट तहसीलदार कि बिन्दू संख्या 7 अनुसार जमा[illegible] के रकबे में व नक्शाशीट में रकबा समान हो जावेगा व जमाबछनी के रकबे पर [illegible] अन्तर नही आवेगा। यह कि तरमीम शुद्धि होंने से राज हित प्रभावीत नही है। एवं आराजी संख्या 480रकबा 3.0270 हैक्टेयर व आराजी संख्या 660/480 रकबा 1.3355 हैक्टेयर भूमि की संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना में सहमति भी दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दिनांक 28.10.2020 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। हमने उभयपक्ष की बहस का मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट, प्रश्नगत आराजियात की वर्तमान जमाबंदी, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त जवाब रिपोर्ट अनुसार एवं पेरोकार सरकार की प्राप्त टिप्पणी अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार जाता है एवं तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ की आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर की तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ़ को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस का प्रामाणिकरण किया जाकर संलग्न कर तरमीम दुरूस्ती हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आदेश आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Utsah

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner